सं0-716/XXVIII-4-2005-01/2006

प्रेषक,

[illegible] सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक : 17 फरवरी, 2006

विषय: राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय पक्की खमरिया जनपद ऊधमसिंह नगर की बाउण्ड्री वाल के निर्माण के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-7प/1/बद्दे चिकि0/27/2003/28219 दिनांक 13.12.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय पक्की खमरिया जनपद ऊधमसिंह नगर की बाउण्ड्री वाल के निर्माण हेतु संलग्नकानुसार कुल रू0 5,55,000.00(रू0 पांच लाख पचपन्न हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में कुल रू0 5,55,000.00 (रू0 पांच लाख पचपन्न हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

1 एकमुश्त प्राविधानों को कार्य से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी

2 कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

3 भूमि उपलब्ध होने के पश्चात ही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तत्पश्चात निर्माण इकाई क्षेत्रीय प्रबंधक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी । स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

4 स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

5 आगणन में उल्लेखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हों, की स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता की अनुमोदन आवश्यक होगा ।

6-कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

7 कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

8 कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

9 कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।

10 आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

12 स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गयाहै

12 निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

13- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय ।

14- उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

15- उक्त व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -12 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-आयोजनागत, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 17-अनावासीय भवनों में वृहत स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण, 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

16- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-847 /वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2006 दिनांक 16.02.2006 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक यथोपरि:

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0 716(1)/XXVIII-4-2005-01/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2 निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
3 कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर ।
4 जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर ।
5 मुख्य चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंह नगर ।
6 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, उत्तरांचल, हल्द्वानी (नैनीताल)
7 निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री ।
8 बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून ।
9 वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-3/ नियोजन विभाग / एन0आई0सी0 ।
10 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0 716/XXVIII-4-2005-01/2006 दिनांक [illegible]-2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	निर्माण इकाई	लागत	वर्ष 2005-06 में स्वीकृत धनराशि
1	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय पकनी खुर्मरिया जनपद ऊधमसिंह नगर की बाउण्ड्री वाल का निर्माण	स0क0नि0	5.55	5.55
	योग		5.55	5.55

(रू0 पांच लाख पच्चपन हजार मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव